

प्रेषक,

सर्वेश कुमार पाण्डेय-II,

एच०जे०एस०

निबन्धक,

राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

महानिबन्धक,

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा

अध्यक्ष,

राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।

विषय- स्थानांतरण आवेदनों में उल्लिखित आधारों के समर्थन में न्यायिक अधिकारियों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर कृपया अपने पत्र सं० 73/Admin.(Services)/2024;Dated February 08, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ऊषा किरन पाण्डेय प्राथमिक विद्यालय सिहोरगढ़ विकास खण्ड एत्मादपुर जनपद आगरा में 21/10/2016 से सहायक अध्यापिका के पद पर नियमित कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। इसके साथ ही साथ अधोहस्ताक्षरी यह भी प्रमाणित करता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों का सामान्य रूप से स्थानांतरण नहीं होता है। शासन विशेष नीति के तहत स्थानांतरण करता है और वर्तमान में सेवा अस्थानांतणीय है। सेवा प्रमाण पत्र एवं माह नवम्बर, 2023 एवं माह दिसम्बर, 2023 की वेतन पर्ची भी पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।


सादर।

संलग्नक:- यथोपरी।

दिनांक- 12/02/2024

Forwarded
Joint
12.2.24

भवदीय,


(सर्वेश कुमार पाण्डेय)

निबन्धक

I.D. 6186

(न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित)

अध्यक्ष

राज्य लोक सेवा अधिकरण
इन्दिरा भवन, लखनऊ